



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक/गोपनीय परीक्षा/2022/2649

भोपाल, दिनांक 27/01/2022

परिपत्र

परीक्षा सत्र जनवरी/फरवरी-2022 के BCA एवं M.Sc.(CS) के प्रोजेक्ट प्रेषण हेतु दिशा-निर्देश।

विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक/परीक्षा-1/दिसम्बर-21-जनवरी-22/2150 दिनांक 24/01/2022 परीक्षा सत्र दिसम्बर-2021/जनवरी-2022 के BCA एवं M.Sc.(CS) पाठ्यक्रमों के प्रोजेक्ट प्रेषित हेतु दिशा निर्देश।

अ. परीक्षार्थियों के लिए निर्देश:-

स्नातक :-

BCA पाठ्यक्रम के अन्तिम सेमेस्टर की विषयवार मेजर प्रोजेक्ट (सत्र 2017 से प्रारंभ बीसीए पाठ्यक्रम के प्रोजेक्ट के कोड 7507 एवं 7508 को नियमानुसार एकजाई कर) मूल्यांकन हेतु जमा किये जाने हैं, जिसके लिए विद्यार्थी संबंधित संस्था प्रभारी सम्पर्क करें।

स्नातकोत्तर :-

M.Sc.(CS) पाठ्यक्रम के अन्तिम सेमेस्टर की विषयवार मेजर प्रोजेक्ट मूल्यांकन हेतु जमा किये जाने हैं, जिसके लिए विद्यार्थी संबंधित संस्था प्रभारी सम्पर्क करें।

ब. संबद्ध अध्ययन केंद्रों के लिए निर्देश :-

- मेजर प्रोजेक्ट परीक्षार्थी अपने सम्बद्ध अध्ययन संस्थान में एक साथ जमा करेंगे। मेजर प्रोजेक्ट की एक प्रति अध्ययन संस्था द्वारा गोपनीय शाखा में जमा की जायेगी जिसका मूल्यांकन गोपनीय शाखा द्वारा करवाया जायेगा। डाक द्वारा प्रेषित मेजर प्रोजेक्ट निर्धारित तिथि/अवधि के पश्चात् प्राप्त होने पर स्वीकार नहीं की जाएगे।
- विश्वविद्यालय के UTD में अध्ययनरत् परीक्षार्थी अपनी मेजर प्रोजेक्ट अपने विभाग प्रमुख को एवं विश्वविद्यालय के अन्य परिसरों में अध्ययनरत् परीक्षार्थी अपने परिसर प्रभारी/विभाग प्रमुख के पास मेजर प्रोजेक्ट जमा करेंगे। विभाग प्रमुख को प्रेषित मेजर प्रोजेक्ट निर्धारित तिथि 08 फरवरी 2022 तक उनके द्वारा गोपनीय शाखा में जमा करना होगा।
- अगर प्रेषण स्पीड पोस्ट से किया गया है तो उसकी रसीद अपने पास रखेंगे जिसे विश्वविद्यालय द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।
- विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक सम्बद्ध अध्ययन संस्थान को उनसे संबंधित परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र एवं रोल लिस्ट की साफ्ट कापी ई-मेल की जायेगी। इसमें मेजर प्रोजेक्ट की जानकारी सही अंकित की गई है, इसका मिलान अध्ययन केंद्र प्रभारी को रोल लिस्ट से करना होगा। संग्रहित प्रत्येक मेजर प्रोजेक्ट को प्रत्येक सम्बद्ध अध्ययन संस्थान सत्यापित/प्रमाणित भी करेगा। प्रत्येक पैकेट पर निम्नानुसार जानकारी दी जाना आवश्यक है।

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल	
1	पाठ्यक्रम का नाम :
2	सेमेस्टर :
3	प्रश्न पत्र का कोड एवं शीर्षक:
4	मेजर प्रोजेक्ट की संख्या:
5	अध्ययन संस्था/विभाग/परिसर का नाम एवं कोड :

- कृपया यह सुनिश्चित करें कि संग्रहित मेजर प्रोजेक्ट पेपर कोड के साथ में सलग्न प्रपत्र CO-01 में भरकर कोड वाइज गोपनीय शाखा को भेजें।
- CO-01 की एक प्रति अपने कार्यालय में भी रखेंगे।

बी-38, विकास भवन, डाक भवन के सामने, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल - 462011, फोन:(0755) 2574534
B-38, Vikas Bhawan, Near Dak Bhawan, Press Complex, Zone-1, M.P. Nagar, Bhopal-462011, Phone-(0755)-2574534
Website - www.mcu.ac.in



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय


(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

स. मेजर प्रोजेक्ट का प्रेषण –

- 1 मेजर प्रोजेक्ट के बंडल अच्छी तरह सील्ड एवं पैक किये गये हों, यह सुनिश्चित करें। तत्पश्चात सहायक कुलसचिव (गोपनीय), माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, B-38 एम.पी. नगर, जोन.1 भोपाल-462011 के पते पर स्पीड पोस्ट से ही प्रेषित करें/जमा कर पावती लें।
- 2 मेजर प्रोजेक्ट के बंडल एवं पैकेट केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही प्रेषित करें। रेल्वे, पार्सल एवं कोरियर सर्विसेस के माध्यम से प्रोजेक्ट के बंडल प्रेषित न किए जाए।



(कुलसचिव)

पृ.क्र./गोपनीय परीक्षा/2022/

भोपाल, दिनांक 25/01/2022

प्रतिलिपि:-

- 1 निज सहायक कुलपति, कुलसचिव को सूचनार्थ।
- 2 निदेशक, ए.एस.आई को सूचनार्थ। कृपया सभी संबद्ध अध्ययन संस्थाओं को अवगत करायें।
- 3 वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4 सहायक कुलसचिव, गोपनीय/परीक्षा/नामांकन/मूल्यांकन/उपाधि शाखा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5 प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 6 संचालक, एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7 समस्त संचालक/प्रभारी, संबद्ध अध्ययन संस्था को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


(कुलसचिव)